

मूल वाद में डिक्री (आदेश 20 के नियम 6 ओर 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी झुन्झुनू

(पीठासीन अधिकारी :- श्री हवाई सिंह यादव, आर. ए. एस.)


मुकदमा नं. :- 44/2015

निर्णय दिनांक : 11.12.2024

सावित्री बनाम बलदेवा वगै०


वादीगण की ओर से अधिवक्ता श्री राधेश्याम सामरिया व प्रतिवादीगण की ओर से अधिवक्ता श्री राजेन्द्र प्रसाद सैनी की उपस्थिति में इस वाद में आज दिनांक 16.12.2024 को हवाई सिंह यादव उपखण्ड अधिकारी झुन्झुनू के समक्ष निपटारे के पेश होने पर आदेश दिया जाता है और डिक्री की जाती है कि वाद वादिया अंतिम रूप से स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम बगड़ तहसील झुन्झुनू में गत खसरा नं. 725 रकबा 4 बिघा 6 बिश्वा जिसके हाल भूमि खसरा नं. 1382 रकबा 1.09 है० कृषि भूमि में मुताबिक संलग्न विक्रय पत्र वादिया को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तदनुसार तहसीलदार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करे। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 11.12.2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा द्वारा जारी किया गया।


(हवाई सिंह यादव)
उपखण्ड अधिकारी, झुन्झुनू

वाद के खर्चे

वादी	रूपया	प्रतिवादी	रूपया
स्टाम्प अर्जी दावा	5	स्टाम्प वकालतनामा	1
स्टाम्प वकालतनामा	1	स्टाम्प अर्जी	
मेहनतनामा वकील		मेहनतनामा वकील पर	
खर्चा गवाहान		खर्चा गवाहान	
फीस कमिश्नर		फीस कमिश्नर	
बाबत इजराय हुक्मनामा		बाबत इजराय हुक्मनामा	
		मुताफरिक	
योग	3	योग	1


(हवाई सिंह यादव)
उपखण्ड अधिकारी, झुन्झुनू

वाद के खर्च